



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 740) पटना, मंगलवार, 7 जुलाई 2026

वित्त विभाग

अधिसूचना

30 जून 2026

सं० 1/स्था०(ले०से०)-15/2021/6006/वि०—बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है—

क्र.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरण के फलस्वरूप पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री शरदचन्द्र झुनझुनवाला	पटना	सहायक कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद	सहायक कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय
2	श्री कुन्दन कुमार सुमन	औरंगाबाद	सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
3	श्री शशिकान्त सुमन	नालन्दा	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना (अतिरिक्त प्रभार मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिपार्ड, पटना।	सहायक कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना। (अतिरिक्त प्रभार मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिपार्ड, पटना।
4	श्री ईशान कुमार	मधुबनी	सहायक कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	सहायक कोषागार पदाधिकारी, बक्सर।
5	श्री राजवन्त कुमार सिंह	बलिया (यू०पी०)	सहायक कोषागार पदाधिकारी, बक्सर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)।
6	श्री चन्द्र शेखर आजाद	कटिहार	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना	सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर।

7	श्री विकाश कुमार	पटना	सहायक कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय	सहायक कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद ।
8	श्री शैलेश कुमार	खगड़िया	सहायक कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना ।
9	श्री सीतेश कुमार	मुजफ्फरपुर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा) ।
10	श्री संजय कुमार सुमन	सिवान	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा)	सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) ।

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रभार त्याग कर नये पद का प्रभार तत्काल प्रभाव से ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों के जुलाई माह का वेतन उनके नये पदस्थापन कार्यालय से देय होगा।

3. उच्चतर पद का वेतनमान प्राप्त उपरोक्त सभी पदाधिकारी स्तम्भ-5 में अंकित पद धारण करेंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 740-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>